(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1015-दो/2006 - विरूद्व आदेश दिनांक 9-5-2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 221/2005-06 निगरानी

1- बुद्धसेन पुत्र विन्ध्येश्वरी प्रसाद दुवे
2- रामपती दुवे पुत्र विन्ध्येश्वरी प्रसाद दुवे
ग्राम दुवगवा तहसील सिरमौर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्व

1- कौशलप्रसाद पुत्र शोभनाथ ब्राहमण
2- रमाकान्त पुत्र शोभनाथ ब्राहमण
निवासीगण ग्राम सोनवर्षा तहसील सिरमौर जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10 -2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 221/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-5-06 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्व तहसील न्यायालय से प्रकरण निर्णीत होकर अवैध कब्जे से बेदखली के दिनांक 4-9-02 को आदेश हुये। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के यहां अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्र0 क0 1 अ-70/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-03 से अपील

निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन रही। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा से स्थगन के अभाव के कारण तहसील न्यायलय में आवेदकगण के विरूद्ध प्रकरण कमांक 255 अ-70/91-92 में बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें अंतरिम आदेश दिनांक 3-6-03 एंव 10-6-03 से बेदखली कार्यवाही के अमल वावत् विचार हुआ। इन आदेशों के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 604/अ-70/04-05 में पारित आदेश दिनांक 14-12-05 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी हुई । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 221/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-5-06 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण के विरूद्ध प्रचलित बेजा कब्जे को हटाने के लिये प्रकरण प्रचलित होकर बेदखली के आदेश हुये है जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में अपील कमांक 1 अ-70/02-03 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 31-5-03 को निरस्त हुई है और इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय से आदेश दिनांक 31-5-03 सहित प्रकरण तहसील न्यायालय में वापिस प्राप्त हुआ है आवेदकगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ हुई है। आवेदकगण का दायित्व है कि वह आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही करते तथा स्थगन प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही अवरूद्ध कराते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा न करते हुये तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी, जो प्रकरण कमांक 604/2004-05 निगरानी में पारित आदेश

दिनांक 14-12-05 से निरस्त हुई एंव इसी आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई, जो प्रकरण कमांक 221/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-5-06 इस आधार पर निरस्त हुई कि जब अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 1 अ 70/02-03 में पारित आदेश दिनांक 31-5-03 से आवेदकगण की अपील निरस्त कर दी है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत अपील में स्थगन प्राप्त कर कार्यवाही करना चाहिये थी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का पालन करना तहसीलदार का कर्तव्य है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 9-5-2000 से अपील निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार की कमीवेशी नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 221/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-5-06 उचित पाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर